मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 245/2025
वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.
गुरदयाल गोयल पुत्र जगराम जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तह.संगरिया।

बनाम

1. अजायब सिह पुत्र पालसिह जाति जटसिख साकिन बुगलावाली तहसील संगरिया।
2. कलवन्तसिह पुत्र नायबसिह जाति जटसिख साकिन बुगलावाली तहसील संगरिया।
3. कलविन्द्र सिह पुत्र गुरदेव सिह जाति जटसिख साकिन बुगलावाली तहसील संगरिया।
4. गुरदेव सिह पुत्र पालसिह जाति जटसिख साकिन बुगलावाली तहसील संगरिया।
5. बलजीतकौर पत्नी नायब सिह जाति जटसिख साकिन बुगलावाली तहसील संगरिया।
6. सोनीसिह पुत्र राजसिह जाति जटसिख साकिन बुगलावाली तहसील संगरिया।
7. मनजीतकौर पत्नी काकासिह जाति जटसिख साकिन बुगलावाली तहसील संगरिया।
8. पंजाब नैशनल बैक शाखा सादुंलशहर।
9. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :– 19.2.2026

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री भीम सिह छीपा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री.....जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:– चक 21 एमजेडी

1. गुरदयाल गोयल पुत्र जगराम जाति कुम्हार सा.शाहपीनी प.न. 94/184 मु.न. 66 किला नं. 19/0.156 दक्षिण दिशा, 20/0.156 दक्षिण दिशा, 21/0.215, 22/0.088 पश्चिम दिशा प.न. 94/185 मु.न. 68 किला नं. 1/0.013
2. अजायब सिह पुत्र पालसिह जाति जटसिख सा.बुगलावाली का 0.633 है. कलवन्त सिह पुत्र नायब सिह जाति जटसिख सा.बुगलावाली का 0.369 है. कलविन्द्र सिह पुत्र गुरदेव सिह जाति जटसिख सा.बुगलावाली का 0.111 है. गुरदेव सिह पुत्र पालासिह जाति जटसिख सा.बुगलावाली का 0.744 है. बलजीतकौर पत्नि नायबसिह जाति जटसिख सा.बुगलावाली का 0.121 है. सोनीसिह पुत्र राजसिह जाति जटसिख सा. बुगलावाली का 0.114 है. प.न. 94/184 मु.न. 66 किला नं. 2/1/0.227, 2/2/0.026, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 8,9,10/0.759, 11,12/0.506, 19/0.097 उतरी दिशा 20/0.097 उतरी दिशा प.न. 93/184 मु.न. 65 किला नं. 16/1/0.114, 16/4/0.013

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/5251 दिनांक 29.12.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज ✗ मुब्लिक ✗ बाबत ✗ खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ✗ को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.2.2026 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया